रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-17112022-240378 CG-DL-E-17112022-240378

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5141] No. 5141] नई दिल्ली, बृहस्पिवार, नवम्बर 17, 2022/कार्तिक 26, 1944 NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 17, 2022/KARTIKA 26, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2022

का.आ. 5367(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.890 (अ) तारीख 28 फरवरी 2022 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के उमरखड एवंम महागांव तालुके में राष्ट्रीय राजमार्ग सं.361 के कि.मी. 207. 200िक.मी.से 262 . 600िक.मी. तक के भूखंड (वर्धा-यवतमाल-वारंगाफाटा सेकषन) के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसुचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "20.03.2022" को "दैनिक लोकमत " और " नवभारत" दोनों में प्रकाशित किया गया था;और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है.

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकारअपनी रिपोर्ट दे दी है.

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ,

7658 GI/2022 (1)

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य मे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 361 के कि.मी. 207.200 से कि.मी.262.600 तक (वर्धा-यवतमाल-वारंगाफाटा सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: महाराष्ट्र जिले का नाम: यवतमाळ									
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम				
1	2	3	4	5	6				
	तालुक का नाम: महागाव								
	गांव का नाम: मुडाणा								
1	227	निजी	कृषि	0.0942	कैलास रेणुराव कदम (227)				
2	29	निजी	कृषि	0.05	अशोक प्रभुजी पैकीने (29)				
3	29	निजी	कृषि	0.07	स्वाती अशोक पैकीने (29)				
			कुल	0.2142					

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 17th November, 2022

S.O. 5367(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number **S.O.** 890 (E), dated 28 February, 2022, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc), maintenance, management and operation of National Highway No 361 on the stretch of land from Km. 207.200 to Km. 262.600 (Wardha-Yavatmal-Waranga Phata Section) in Taluka Umerkhed & Mahagaon District Yavatmal in the State of Maharashtra.

And whereas, the substance of the said notification has been published in "Dainik Lokmat" and "Navbharat" both dated 20.03.2022, under sub- section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said, Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired, with or without structures, falling within the stretch of land from Km.207.200 to Km.262.600 (Wardha-Yavatmal-Warangaphata Section) National Highway No. 361 in the State of Maharashtra.

State: MAHARASHTRA			District: YAVATMAL						
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.				
1	2	3	4	5	6				
	Taluk: Mahagaon								
	Village: Mudana								
1	227	Private	Agricultural	0.0942	Kailash Renurao Kadam 227				
2	29	Private	Agricultural	0.05	Ashok Parbhuji Paikine 29				
3	29	Private	Agricultural	0.07	Swati Ashok Paikine 29				
			TOTAL	0.2142					

[F. No. NHAI/PIU/YAVATMAL/LA/NH-361/2017/3D]

RAJESH GUPTA, Director